हमारा प्रयास
आपका आवास

RERA REGISTERED PROJECTS
RERA Website :
https://www.up-rera.in

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद

अपने सपनों की सम्पत्ति पाने का सुनहरा अवसर

परिषद की विभिन्न योजनाओं में उपलब्ध सम्पत्तियों की ई-नीलामी

मेरठ | लखनऊ | आगरा | बरेली
वाराणसी | गोरखपुर एवं कानपुर जोन

के शहरों की विभिन्न योजनाओं में रिक्त
आवासीय/शैक्षणिक एवं
अन्य अनावासीय सम्पत्तियों को
ई-नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का
सुनहरा अवसर

वृन्दावन योजना, लखनऊ में IT/AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भूखण्ड अब किफायती दरों पर उपलब्ध

ई-नीलामी की तिथि : 30.06.2026

पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा करने की अवधि:

दिनांक 15.06.2026 से दिनांक 29.06.2026 तक

दिनांक 30.06.2026 को ई-नीलामी में एकल बोली प्राप्त होने की स्थिति में पुन: ई-नीलामी सम्पन्न कराए जाने हेतु कार्य योजना निम्न अनुसार है:-

नवीन आवेदकों हेतु पंजीकरण व टोकन धनराशि जमा करने की अवधि	ई-नीलामी की तिथि
02.07.2026 से 21.07.2026 तक	दि. 22.07.2026

पारदर्शी प्रक्रिया | सरल पंजीकरण | बेहतर निवेश का अवसर

आज ही पंजीकरण करें और अपनी पसंद की सम्पत्ति पाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएं।

ई-नीलामी के लिए रजिस्ट्रेशन हेतु QR कोड स्कैन करें।

ई-नीलामी पोर्टल : https://upavpauction.procure247.com/

विस्तृत जानकारी/ अन्य नियम व शर्तों के लिए लॉग-इन करें: www.upavp.in

ई-नीलामी हेतु सम्पर्क करें : 9574524058

नियम व शर्तें : (1) ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगा। रेरा में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रेरा पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है। (2) मा० न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। (3) आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा। (4) यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण / अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा। (5) परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जायेंगी। (6) समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियों पर भौतिक कब्जा प्राप्ति के 5 वर्षों के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुये निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। ससमय निर्माण पूर्ण न किये जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/ समय वृद्धि शुल्क देय होगा। (7) परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय / अनावासीय सम्पत्तियों पर निर्णय परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन लिया जाएगा।

संपत्तियों एवं पंजीकरण से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए डायल करें : (टोल फ्री नंबर) 1800-180-5333, 0522-2236803
(किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 9:30 से सायं 6:00 बजे) UPHousingBoard uphousingdevboard www.upavp.in